बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 4 सत्र- 189वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 25.7.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने शिक्षा की स्थिति के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे ने भी किया। जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि विहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-2, 4, 8, 15 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 29, 30, 31, 32 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 34, 35, 39 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 29 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, यह सभी लोगों की समस्या है इसलिए एक सप्ताह में आप सफाई करवाकर इसकी सूचना दे दीजिए।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 31 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि हो गया, पैसा चला जाएगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 32 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर मामला है, आप कुछ ऐसा करें कि सही-सही बात आप तक पहुंचे और सदन की जो चिंता है, उस चिंता को दूर करें। अगर इतनी गंदगी फैलेगी और प्रदूषण फैलेगा, तो यह आदमी के जीवन-मरण का सवाल है। आप किससे जांच कराकर इसकी रिपोर्ट देना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि प्रधान सचिव से जांच कराकर सदन को रिपोर्ट दे देंगे। इसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी सरकार की ओर से कहा कि मेरा सुझाव होगा कि कल या परसों एक बैठक रख ली जाए, जिसमें नगर आयुक्त और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को बुला लिया जाय, माननीय मंत्री रहें और जो माननीय सदस्य उसमें रहना चाहते हैं, वे रहें, कहां काम हुआ है, कहां नहीं हुआ है, उसे भी देखें। इसपर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन दिया कि 27 तारीख को मैं बैठक बुला लूंगा।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 53, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 51, 52, 54, 57, 60, 63, 65 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या– 62 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या– 51 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, सत्र आरंभ होने से पहले जब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर वरीय पदाधिकारियों की बैठक होती है, तो मैंने उसमें बार-बार यह सवाल उठाया है कि

आपलोग क्या चाहते हैं कि सदन में साफ-सफाई जैसे विषय पर समय बर्बाद हो । इसलिए क्यों नहीं आप नालों की उसके पहले ही सफाई करा लेते हैं। पटना बिहार की राजधानी है और यहां भी साफ-सफाई नहीं होगी, तो यहां सवाल उठेगा। माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे जी, 27 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें पूरा जवाब दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या– 58 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप भी माननीय सदस्य, सुबोध जी से डेट लेकर करके, बात करके आप ही तिथि निर्धारित करके बता दीजिए और जांच करा लीजिए।

तारांकित प्रश्न संख्या- 60 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि जब हमने सभी माननीय सदस्यों को नियमावली के अनुसार चिट्ठी दे दी है कि सत्र नहीं रहने के दौरान भी सप्ताह में दो अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं तो सदन के भरोसे क्यों रहते हैं। जनहित के मामले को उठाने के लिए आपको अवसर दिया गया है, आप जब प्रश्न उठाएंगे, विभाग के साथ पत्राचार होगा, जवाब नहीं मिलने पर मॉनिटरिंग करके जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे और जो भी जनहित और किसानों की समस्या है, उसका समाधान होगा, उसका लाभ उठाइए।

यह प्रश्न कृषि विभाग से संबंधित है, कल जवाब आएगा। आसन से ऐसा कहे जाने पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने इसपर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने जो कहा कि कृषि विभाग का मामला बनता है। हम भी महसूस करते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान इससे होगा। आपको याद होगा कि मैंने भी आसन से इस सवाल को उठाया था। सरकार ने गांवों में, खेतों में टीम भेजकर इसकी जांच कराई, वह प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, पहले यह जानकारी ले लें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 61 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां सफाई नहीं हुई है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब आप देते हैं तो ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे जो गलत उत्तर दे रहे हैं, इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि इसकी जांच भी कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 65 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने खुद रिव्यू किया होगा। वे आपके प्रश्न के बारे में संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, वे कार्रवाई करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 67 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सहरसा में सड़कों की स्थिति खराब है, माननीय मंत्री उसकी व्यवस्था कराएं।

3. औपचारिक कार्य

1. विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24.7.2018 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गये-

1. बिहार वित्त विधेयक, 2018
2. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018
3. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि इन विधेयकों पर 1.45 अपराह्न तक संशोधन लिए जाएंगे।

2. माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा 183वें एवं 187वें सत्र से संबंधित लंबित प्रश्नोत्तरों की सूची की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार द्वारा विहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 की अधिसूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. श्री संजय प्रसाद
3. श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा
4. श्रीमती नूतन सिंह
5. श्री राजेश राम
6. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
7. श्री कृष्ण कुमार सिंह

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री प्रेम चन्द्र मिश्र की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्या, श्रीमती नूतन सिंह की शून्यकाल की सूचना पर माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने सरकार ओर से उत्तर देते हुए कहा कि इसकी अपेक्षित कार्रवाई तुरंत की जाएगी।

माननीय सदस्य, श्री राजेश राम की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

6. सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने 21 लोगों की शराब से हुई मौत के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

2. माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने संस्कृत की माध्यमिक परीक्षा अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण बंद होने के कगार पर है, इसकी रक्षा की जाय, यह संस्कृति की धरोहर है, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

3. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने मुजफ्फरपुर की पीड़िता बच्चियों के भविष्य के संबंध में सूचना देना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि कल सरकार का इसपर वक्तव्य हो चुका है, उसी समय आपको सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन, सरकार आपकी बात सुन रही है।

7. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा पटना जिलान्तर्गत मोकामा नगर परिषद् में इन्टीग्रेट हाउसिंग एवं स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी आप अपने प्रधान सचिव और माननीय सदस्य के साथ बात कर लें, हम एक तिथि निर्धारित करेंगे, हमलोग बैठकर निर्णय करेंगे कि कैसे जांच करेंगे।

2. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता द्वारा खगड़िया जिला में निबंधन पर लगी रोक को हटाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मधुबनी जिला के 31 संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने एवं दोषियों को दंडित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

माननीय उप मुख्यमंत्री का आश्वासन

इसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी और आश्वस्त किया कि पूरी कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वैसे लोगों पर बर्खास्तगी की आवश्यकता होगी तो बर्खास्तगी भी की जाएगी।

(अंतराल)

4. माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रो० संजय कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह, संजीव कुमार सिंह, नीरज कुमार, दिलीप कुमार चौधरी, वीरेन्द्र नारायण यादव, प्रो० नवल किशोर यादव, डा० मदन मोहन झा, केदार नाथ पाण्डेय एवं देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को एक मुश्त लंबित अनुदान विमुक्त करने एवं घाटानुदान प्रावधान लागू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव, श्री रितलाल राय, प्रो० नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से नियुक्त/नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता शिथिल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री तनवीर अख्तर द्वारा राजकीय बालिका मध्य विद्यालय, सुपौल के स्वीकृत पांच शिक्षकों के पद को मध्य विद्यालय, सुपौल को आवंटित करते हुए उक्त विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि यह बिलकुल भिन्न मामला है, चूंकि वहां पर विद्यालय है, शिक्षकों के पद सृजित हैं, जमीन और मकान उपलब्ध है। इसपर बैठकर बात कर लीजिए। यह शहर के बिलकुल किनारे है। विद्यालय बंद हो गया, शिक्षक बेकार पड़े हैं। सरकार इसपर निर्णय तो ले ही सकती है। बैठकर हमलोग इसपर बात कर लेंगे।

7. माननीय सदस्य, डा० रामवचन राय द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय के बिस्वाक गांव स्थित ऐतिहासिक स्थान काश्मीरीचक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, सर्वश्री जावेद इकबाल अंसारी, नीरज कुमार एवं दिलीप कुमार चौधरी द्वारा श्री कौशलेन्द्र कुमार कर्मेन्दु, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, धामी परिहार, सीतामढ़ी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा है कि आप सारे डॉक्युमेंट दे दीजिए। उसपर कार्रवाई होगी।

9. माननीय सदस्य, श्री खालिद अनवर एवं श्री ललन कुमार सर्राफ द्वारा बिहार के पहाड़ी क्षेत्र तथा पहाड़ की तलहटी में जल संकट से जूझ रही जनता को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चापाकल, बोरिंग के द्वारा जलापूर्त्ति कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विनोद नारायण झा ने कहा कि इसका उत्तर कल होगा।

8. राजकीय विधेयक

1. बिहार वित्त विधेयक, 2018

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार वित्त विधेयक, 2018 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार वित्त विधेयक, 2018 पारित हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018

माननीया मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीया मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 पारित हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

3. **बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018**

माननीय मंत्री, श्री पशुपति कुमार पारस ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री, श्री पशुपति कुमार पारस ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री पशुपति कुमार पारस ने वक्तव्य दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

9. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री केदारनाथ पाण्डेय
3. श्री संजीव श्याम सिंह
4. श्री शिव प्रसन्न यादव
5. श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा
6. श्रीमती मनोरमा देवी
7. श्री तनवीर अख्तर

8. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
9. श्री राम ईशबर महतो
10. श्री सोने लाल मेहता
11. प्रो. नवल किशोर यादव
12. श्री सच्चिदानंद राय
13. श्री कृष्ण कुमार सिंह
14. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
15. श्री सी.पी. सिन्हा

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 26.7.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

25/07/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1239 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 25.7.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

25-07-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।